स्वतंत्र *कुमार और एस.एस. सरोन,* न्यायाधीशों के समक्ष

आर.पी. चिलर, औरअन्य — *याचिकाकर्ता*
बनाम
हरियाणा राज्य औरअन्य — *उत्तरदाताओं*
C.W.P. 2002 की संख्या 3214
14 नवंबर, 2002

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद, 226-यू.जी.सी. पत्र दिनांक 27 वां नवंबर, 1990-एक सरकारी सहायता में व्याख्याताओं के रूप में नियुक्ति एक वर्ष की परिवीक्षा-बंद होने की अवधि के बाद संस्था-पुष्टि अन्य निजी तौर पर प्रबंधित किए गए व्याख्याताओं के संस्थान-अवशोषण पिछले वेतन के संरक्षण के लाभ के साथ नियमित आधार पर कॉलेज-वरिष्ठ स्तर के अनुदान के लिए पिछली सेवा की गिनती के लिए दावा 8/16 साल के बाद चयन ग्रेड-पत्र की अस्वीकृति दिनांक 27 नवंबर, 1990 प्रदान करता है कि प्रदान की गई पिछली सेवा को गिना जा सकता है वरिष्ठ पैमाने/ चयन ग्रेड टोपी के अनुदान के उद्देश्य से यह होना चाहिए समय के लिए याचिकाकर्ताओं और जूनियर की सेवा में किसी भी ब्रेक के बिना बाद में समायोजन / अवशोषित करने के लिए अधिकारियों द्वारा संस्थान — पिछली संस्था में सेवा में कोई विराम नहीं अधिकारियों को पिछली नियमित सेवा की गणना करने का निर्देश दिया वरिष्ठ स्केल/ चयन ग्रेड के अनुदान के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान किया गया.

यह माना गया कि 27 नवंबर, 1990 के पत्र में सेवा में ब्रेक का विचार यह है कि पिछली सेवा में ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी पहले संस्थान में सेवा जहां व्याख्याता ने काम किया था। इसका संबंध पहले वाले संस्थान को छोड़ने के बाद अगले संस्थान में शामिल होने तक लगने वाले समय से नहीं है। डी.ए.वी छोड़ने के बाद कॉलेज, हसनगढ़ को कभी -कभी प्रतिवादी-अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं को समायोजित करने की आवश्यकता होती थी। समय की इस अवधि को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है या इसे पिछली सेवा में ब्रेक के रूप में नहीं कहा जा सकता है ताकि याचिकाकर्ताओं को वरिष्ठ वेतनमान चयन ग्रेड के अनुदान के लिए उपयुक्त न ठहराया जा सके। 27 नवंबर, 1990 के पत्र में अभिव्यक्ति "एक व्याख्याता के रूप में बिना किसी ब्रेक के पिछली सेवा "

डी.ए.वी. में 'पिछली सेवा में ब्रेक के बजाय पिछली सेवा के बीच ब्रेक' से संबंधित है। कॉलेज, हसनगढ़, और बाद के कॉलेजों में याचिकाकर्ता को समायोजित करने में लिया गया समय वरिष्ठ वेतनमान चयन ग्रेड के अनुदान के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई पिछली नियमित सेवाओं की गणना करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की अनुमति दी गई।

(पैरा 20)

आगे यह भी कहा गया कि डी.ए.वी. बंद होने के बाद सेवा में यदि कोई रुकावट आती है। कॉलेज, हसनगढ़ को वरिष्ठ वेतनमान चयन ग्रेड देने का कोई महत्व नहीं है। हालाँकि, यह केवल याचिकाकर्ताओं द्वारा डी.ए.वी. में प्रदान की जाने वाली नियमित सेवा है। कॉलेज, हसनगढ़, जिसे 8 और 16 साल की सेवा के बाद वरिष्ठ वेतनमान और चयन ग्रेड में नियुक्ति के उद्देश्य से गिना जाएगा। याचिकाकर्ताओं को अन्य संस्थानों में समायोजित करने में लगने वाले समय की गणना नहीं की जाएगी। (पैरा 23)

पटवालिया, एडवोकेट, *याचिकाकर्ताओं के लिए.*

रघबीर चौधरी, वरिष्ठ डीएजी, हरियाणा.

आर.के. मलिक, एडवोकेट, *उत्तरदाताओं के लिए.*

अदालत का निर्णय

एस.एस. सारण न्यायाधीश

(1) वर्तमान रिट याचिका में शामिल विवाद यह है कि क्या याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई सेवा डी.ए.वी. कॉलेज, हसनगढ़, जिला रोहटक, जो एक सहायता प्राप्त संस्थान है, 8-16 के बाद वरिष्ठ पैमाने / चयन ग्रेड के अनुदान के लिए खाते में लगभग एक से दो साल का अंतर होने के बावजूद सेवा के वर्ष D.A.V कॉलेज, हसंगरह.के बंद होने के बाद अन्य सहायता प्राप्त संस्थानों में उनके अवशोषण, को लिया जा सकता है

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता नंबर 1 ने वर्ष 1972 में पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी में एम.ए. उत्तीर्ण किया। उन्हें डी.ए.वी. में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। कॉलेज, हसनगढ़, - आदेश दिनांक 2 जुलाई, 1973 (अनुलग्नक पी-2) के अनुसार रुपये के वेतनमान 300- 600. उन्हें 25 जुलाई, 1973 से 24 जुलाई, 1974 तक एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहना था। इसके बाद 25 जुलाई, 1974 को आदेश अनुलग्नक पी-3 के तहत उनकी पुष्टि कर दी गई। याचिकाकर्ता संख्या 2 ने वर्ष 1973 में पंजाब विश्वविद्यालय से संस्कृत में एम.ए. किया था। उन्हें डी.ए.वी. में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। कॉलेज, हसनगढ़, - आदेश दिनांक 12 अगस्त, 1974 (अनुलग्नक पी-4) और आदेश दिनांक 28 अगस्त, 1975 (अनुलग्नक पी-5) के माध्यम से 20 अगस्त, 1985 से प्रभावी होने की पुष्टि की गई। याचिकाकर्ता संख्या 3 ने वर्ष 1970 में राजनीति विज्ञान में एम.ए. किया। इसके बाद उन्होंने बी.एड . किया। वर्ष 1971 में उन्हें D.A.V कॉलेज, हसनगढ़ राजनीति विज्ञान में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया , 16 जुलाई, 1972 को, आदेश अनुलग्नक पी-6 द्वारा और 16 जुलाई, 1973 से, आदेश दिनांक 20 अगस्त, 1973 (अनुलग्नक पी-7) द्वारा पुष्टि की गई थी।

(3) याचिकाकर्ता डी.ए.वी.कॉलेज, हसनगढ़ में कार्यरत थे। और उनके रोजगार के दौरान अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण जो कॉलेज के प्रबंधन के नियंत्रण में नहीं थे, कॉलेज को 31 जुलाई, 1984 से बंद कर दिया गया था। कॉलेज के कर्मचारियों को अन्य निजी तौर पर अवशोषित कर लिया गया था शासन के निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालयों का प्रबंधन किया जाए । याचिकाकर्ता संख्या 1 को निदेशक, उच्च शिक्षा, हरियाणा द्वारा जारी आदेश दिनांक 16 अक्टूबर, 1986 (अनुलग्नक पी-8) के तहत इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज, लाडवा में समाहित कर लिया गया था। इसी प्रकार, याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 को क्रमशः 16 अक्टूबर, 1986 (अनुलग्नक पी-9) और 15 नवंबर, 1985 (अनुलग्नक पी-10) के आदेश के तहत हिंदू कॉलेज, सोनीपत और छोटू राम किसान कॉलेज, जींद में समाहित कर लिया गया। . सभी याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी कर दिये गये। याचिकाकर्ता नंबर 1 को व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था, दिनांक 9 दिसंबर, 1986 के आदेश के तहत (अनुलग्नक पी-11) जिसे कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया था, दिनांक 29 जनवरी, 1987 के पत्र के माध्यम से (अनुलग्नक पी-12) जो 9 दिसंबर 1986 से प्रभावी था।

(4) याचिकाकर्ता संख्या 2 को पत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 1986 (अनुलग्नक पी-14) के माध्यम से हिंदू कॉलेज, सोनीपत में संस्कृत में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था, और याचिकाकर्ता संख्या 3, को पत्र दिनांक 16 नवंबर, 1985 (अनुलग्नक पी-15) के माध्यम से छोटू राम किसान कॉलेज, जींद में राजनीति विज्ञान में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया।

(5) डी.ए.वी. कॉलेज, हसनगढ़, जो प्रतिवादी-हरियाणा राज्य से अनुदान सहायता प्राप्त कर रहा था, 31 जुलाई, 1984 से बंद कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं का अन्य संस्थानों में अवशोषण/समायोजन जारी निर्देशों के आधार पर किया गया था। हरियाणा राज्य द्वारा. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उनके द्वारा डी.ए.वी. में प्रदान की गई सेवा मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा परिचालित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार 8-16 वर्ष की सेवा के बाद कॉलेज, हसनगढ़ को वरिष्ठ स्केल/चयन ग्रेड के अनुदान के लिए गिना जाएगा। विकास शिक्षा विभाग, - अपने पत्र दिनांक 27 जुलाई, 1988 के द्वारा। यूजीसी की सिफारिशों को

हरियाणा राज्य द्वारा अपनाया गया है, जिसे रिट याचिका में अनुलग्नक पी-17 के रूप में जोड़ा गया है। याचिकाकर्ताओं ने पहले सिविल रिट याचिका संख्या 14809 , 2001 दायर किया था जिसे इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने उत्तरदाताओं-राज्य को निर्देश दिया था कि वे उक्त रिट याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में मानें, जिसका निपटान प्रतिवादी संख्या 2 यानी निदेशक, उच्च शिक्षा, हरियाणा द्वारा किया जाएगा। उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के तीन माह। प्रतिवादी संख्या 2 ने, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21 सितंबर, 2001 के अनुपालन में, दिनांक 23 नवंबर, 2001 (अनुलग्नक पी-24) पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने उक्त आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की है।

(6) उन उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया गया जिन्होंने अपना लिखित बयान दाखिल किया था। उपनिदेशक कॉलेज, उच्च शिक्षा आयुक्त कार्यालय, हरियाणा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रतिवादी संख्या 2 ने कहा कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21 सितंबर, 2001 के अनुपालन में, प्रदान की गई सेवा के लाभ के लिए दावा याचिकाकर्ताओं द्वारा डी.ए.वी. कॉलेज, हसनगढ़, यूजीसी दिशानिर्देशों और होई राम बनाम हरियाणा राज्य सी.डब्ल्यू.पी. के मामले में इस न्यायालय के फैसले के आधार पर। क्रमांक 15970 सन् 1996 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 फरवरी 2001 पर विचार किया गया। यह स्वीकार किया गया है कि यूजीसी दिशानिर्देशों को राज्य सरकार द्वारा 8 दिसंबर, 2000 की अधिसूचना के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि, यह तर्क दिया गया है कि वरिष्ठ वेतनमान के अनुदान के लिए विभिन्न संस्थानों में प्रदान की गई पिछली सेवा की गिनती के संबंध में यूजीसी दिशानिर्देश हरियाणा राज्य द्वारा अपनाए गए और अधिसूचित चयन ग्रेड में प्रावधान है कि पिछली सेवा वरिष्ठ स्केल/चयन ग्रेड में व्याख्याता की नियुक्ति के लिए बिना किसी शारीरिक ब्रेक के होनी चाहिए। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता नीचे दी गई अवधि के दौरान किसी भी संस्थान में सेवा में नहीं थे: -

1. आर.पी. Chillar1-8-1984 से 8-12-1996
2. S.B. Ruhil1-8-1984 से 28-10-1986
3. जे.आर. Tehlan1-8-1984 से 5-9-1985

(7) इसे देखते हुए, यह माना जाता है कि पिछली सेवा का लाभ UGC दिशानिर्देशों के तहत नहीं दिया जा सकता.

(8) हमने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और हमने इस मामले पर गहन विचार किया है।

(9) श्री पी.एस. **डॉ. रोमिला जैन बनाम हरियाणा राज्य 1995 (3) RSJ 807** के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील पटवालिया का तर्क है कि सरकारी निर्देश इस उद्देश्य (वरिष्ठ वेतनमान/चयन ग्रेड प्रदान करना) के लिए निरंतर सेवा प्रदान नहीं करते हैं। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि हो **राम के मामले (सुप्रा)** में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच, जो डीएवी में अर्थशास्त्र के एक व्याख्याता से भी संबंधित थी। कॉलेज, हसनगढ़, जिन्हें बाद में वैश्य कॉलेज, भिवानी में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था, को डॉ. रोमिला जैन (सुप्रा) के फैसले के आधार पर समान राहत दी गई, जिसके परिणामस्वरूप, डी.ए.वी. में प्रदान की गई सेवा। वरिष्ठ वेतनमान/चयन ग्रेड के अनुदान के लिए सेवा की अवधि की गणना के उद्देश्य से कॉलेज, हसनगढ़ को गिना जाना था।

(10) हालांकि, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि डॉ. रोमिला जैन के मामले में इस न्यायालय ने विभिन्न संस्थानों में प्रदान की गई पिछली सेवा की गिनती के मुद्दे पर यूजीसी दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता को बरकरार रखा और राज्य सरकार को निर्देश दिया, जिसने ऐसा किया था। तब तक याचिकाकर्ता को यूजीसी दिशानिर्देशों के आलोक में पात्र पाए जाने की स्थिति में उक्त मामले में लाभ देने के लिए यूजीसी दिशानिर्देशों को स्वीकार नहीं किया गया था। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि डॉ. रोमिला जैन के मामले में पारित आदेश के आधार पर ही होई राम के मामले का निर्णय इस न्यायालय द्वारा किया गया था। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि उत्तरदाता डॉ. रोमिला जैन और होई राम के दावे के बीच अंतर करने में असमर्थ थे। होई राम के मामले में ऐसा हुआ था क्योंकि उत्तरदाताओं द्वारा कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया था। वास्तव में, होई राम इस तथ्य के आधार पर यूजीसी दिशानिर्देशों के तहत भी पिछली सेवा की गणना के अनुदान के लाभ के लिए पात्र नहीं थे कि उनकी सेवा निरंतर नहीं थी

बल्कि शारीरिक विराम के कारण खराब हो गई थी। इस तथ्य की पैरवी नहीं की जा सकी और इस पर विचार नहीं किया गया। हालाँकि, 1997 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 13610 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी यही दलील दी गई थी। एसएलपी को भी 13 जनवरी, 2000 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि सेवा की निरंतरता का मुद्दा इस न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया था। और, इसलिए, इसे एसएलपी में नहीं उठाया जा सका। यह भी तर्क दिया गया है कि होई राम को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में पिछली सेवा की गणना का लाभ दिया गया था, हालांकि पिछली सेवा की गणना के मुद्दे पर राज्य सरकार की कोई नीति नहीं थी।

(11) पार्टियों के संबंधित तर्कों की सराहना करने के लिए, यूजीसी दिशानिर्देशों के दिनांक 22 जुलाई, 1988 के पत्र के परिशिष्ट-1 के पैरा 11 को देखा जाना आवश्यक है, जो कि दिनांक 22 जुलाई, 1988 के पत्र के माध्यम से है। निम्नानुसार पुनरुत्पादित:-

"11. कैरियर में उन्नति

प्रत्येक व्याख्याता को रुपये के वरिष्ठ वेतनमान में रखा जाएगा। 3,000-5,000 यदि उसके पास:-

(ए) जैसा कि ऊपर पैरा 12 में दिया गया है, छूट के साथ नियमित नियुक्ति के बाद 8 साल की सेवा पूरी की है;

(बी) दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों/ग्रीष्मकालीन संस्थानों में भाग लिया, प्रत्येक लगभग 4 सप्ताह की अवधि का या यू.जी.सी. द्वारा निर्दिष्ट तुलनीय गुणवत्ता के अन्य उचित सतत शिक्षा कार्यक्रमों में शामिल हुआ।

स्पष्टीकरण:-

रुपये के मौजूदा वेतनमान में सभी व्याख्याता। 700-1,600, जिन्होंने 1 जनवरी 1986 को 8 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें स्क्रीनिंग/चयन की प्रक्रिया के माध्यम से रखा जाएगा, जैसा कि नीचे पैरा 20 में दर्शाया गया है, रुपये के पैमाने पर। 3,000- 5,000. पैरा 10 में प्रदान की गई सेवा का लाभ प्रारंभिक प्लेसमेंट के लिए भी उपलब्ध होगा।"

(12) उपरोक्त परिपत्र/सिफारिशें 1 जनवरी, 1986 से प्रभावी थीं। यूजीसी की सिफारिशें जो भारत सरकार द्वारा 22 जुलाई, 1987 के पत्र के माध्यम से प्रसारित की गईं, हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गईं। इसके अनुसार विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन के निर्देश जारी किये गये।

(13) यूजीसी के उपरोक्त निर्देशों का अवलोकन प्रत्येक व्याख्याता के कैरियर में उन्नति और वरिष्ठ पैमाने पर नियुक्ति के लिए निर्धारित करता है, यदि उसने छूट के साथ नियमित नियुक्ति के बाद 8 साल की सेवा पूरी कर ली है। इसके अलावा, इन निर्देशों को राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया था। अपनाए गए निर्देशों के पैरा 6 में, उसके प्रासंगिक अनुबंध ए को अनुबंध के रूप में रिकॉर्ड पर रखा गया है पी-17 में परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक व्याख्याता रुपये के वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। 3,000-5,000 यदि उसने नियमित नियुक्ति के बाद 8 साल की सेवा पूरी कर ली है या मूल वेतन रु. तक पहुंच गया है। 2,800 जो भी पहले हो। इसके अलावा, इसके पैरा 8 में कहा गया है कि वरिष्ठ वेतनमान में प्रत्येक व्याख्याता रुपये के चयन ग्रेड में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। 3,700-5,700, यदि उसने वरिष्ठ वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है या मूल वेतन रु. तक पहुँच गया है। 4,375 जो भी पहले हो। डॉ. रोमिला जैन के मामले में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 22 जुलाई, 1988 के पत्र के परिशिष्ट- I के पैरा 11 में इस्तेमाल की गई भाषा में "नियमित नियुक्ति के बाद 8 साल की सेवा पूरी की" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है और यह शब्द के शब्द और सेवा शब्द के बीच "निरंतर" का प्रयोग नहीं किया गया है। उसमें यह माना गया था कि पैरा 11 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति इतनी स्पष्ट नहीं है कि यह संकेत मिले कि यूजीसी वरिष्ठ वेतनमान देने की पूर्व शर्त के रूप में नियमित नियुक्ति के बाद 8 साल की निरंतर सेवा का इरादा रखता है। पत्र स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यूजीसी के अनुसार, विश्वविद्यालय/कॉलेज में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति से पहले उस कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा को पूरा करने पर व्याख्याताओं के लिए कैरियर उन्नति योजना के तहत वरिष्ठ वेतनमान/चयन ग्रेड प्रदान करने के उद्देश्य से गिना जा सकता है। उसमें विभिन्न शर्तें गिनाई गईं। यहां तक कि हरियाणा सरकार के पत्र

के अनुबंध ए के पैरा 6 में 27 जुलाई, 1988 के यूजीसी दिशानिर्देशों को स्वीकार करते हुए अनुबंध पी-17 के रूप में संलग्न हरियाणा सरकार के पत्र में वरिष्ठ स्तर पर एक व्याख्याता की नियुक्ति के उद्देश्य से "निरंतर" शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। . दूसरे शब्दों में, "नियमित नियुक्ति के बाद 8 वर्ष की सेवा पूर्ण" अभिव्यक्ति में "निरंतर" शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। वरिष्ठ पैमाने पर प्रत्येक पात्र व्याख्याता के लिए चयन गार्ड में नियुक्ति के संबंध में भी यही स्थिति है। वहां भी पैरा 8 में "वरिष्ठ वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण" अभिव्यक्ति में "निरंतर" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।

(14) इसलिए, मामले के इस दृष्टिकोण में, यह देखा जाना चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता 8 के बाद वरिष्ठ वेतनमान/चयन ग्रेड के अनुदान के उद्देश्य से डीएवी कॉलेज, हसनगढ़ में उनके द्वारा प्रदान की गई संबंधित सेवाओं को गिनने के हकदार हैं। 16 साल की सेवा. यह विवाद में नहीं है कि डीएवी कॉलेज, हसनगढ़, एक सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान था और इसे 31 जुलाई, 1984 से बंद कर दिया गया था। बंद होने के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं को अन्य सहायता प्राप्त संस्थानों में समाहित/समायोजित कर दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 2 निदेशक, उच्च शिक्षा, हरियाणा ने 16 अक्टूबर, 1985 को ज्ञापन जारी किया (अनुलग्नक) पी-8) ने प्रिंसिपल, इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज, लाडवा (कुरुक्षेत्र), प्रतिवादी नंबर 4 को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता नंबर 1 को हिंदी में व्याख्याता के रूप में नियुक्त करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 का वेतन सुरक्षित रखा जाएगा क्योंकि वह सामान्य निर्देशों के अनुसार अपने पहले संस्थान में वेतन ले रहा था। साथ ही इनका अवशोषण नियमित रूप से होना चाहिए। 16 अक्टूबर, 1986 को इसी तरह का एक ज्ञापन (अनुलग्नक पी-9) याचिकाकर्ता संख्या 2 के संबंध में हिंदू कॉलेज, सोनीपत के प्रतिवादी संख्या 5 को संबोधित किया गया था, जिसमें संस्थान को उनके वेतन की सुरक्षा के अलावा नियमित आधार पर उनके अवशोषण के लिए निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता संख्या 3 के संबंध में भी यही स्थिति है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 ने छोटू राम किसान कॉलेज, जींद के प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 3 को समाहित करने के लिए दिनांक 15 नवंबर,

1985 (अनुलग्नक पी-10) को ज्ञापन दिया था। नंबर 6. इसमें यह संकेत दिया गया था कि याचिकाकर्ता नंबर 3 पिछले संस्थान में जो वेतन ले रहा था, उसे संरक्षित किया जाना था। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्येक याचिकाकर्ता को डीएवी कॉलेज, हसनगढ़ द्वारा परिवीक्षा पर उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के बाद, नियुक्ति पत्र दिनांक 2 जुलाई, 1973 (अनुलग्नक पी -2) 12 अगस्त के माध्यम से। क्रमशः 1974 (अनुलग्नक पी-4) और 6 जुलाई, 1972 (अनुलग्नक पी-6) की पुष्टि पत्र अनुबंध पी-3, पी-5 और पी-7 के माध्यम से की गई।

(15) उत्तरदाताओं ने 27 नवंबर 1990 के पत्र को अनुबंध आर-2 के रूप में रिकॉर्ड में रखा है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त पत्र को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 8 दिसंबर, 2000 की अधिसूचना के माध्यम से अपनाया गया है। पत्र दिनांक 27 नवंबर, 1990 अनुबंध आर- II इस प्रकार है: -

"पी. मलिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उप कुल सचिव बहादुर शाह जफर मार्ग

फ़ोन नंबर 3312210 नई दिल्ली-110002

क्रमांक एफ. 1-6/90(पीएस सेल) 27 नवंबर, 1990

प्रिय महोदय,

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 29 जनवरी 1990 के समसंख्यक पत्र के पैरा 3 का संदर्भ लें जिसमें विश्वविद्यालय/कॉलेज में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति से पहले किसी व्यक्ति के अनुभव को अन्य विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में समकक्ष ग्रेड में गिनने के संबंध में आयोग का निर्णय शामिल है। और राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ या अनुसंधान एवं विकास संगठन (CSIR/ आईसीएआर, डीआरडीओ, यूजीसी आदि) और यूजीसी अनुसंधान वैज्ञानिक, वरिष्ठ स्केल/चयन ग्रेड में नियुक्ति के लिए अर्हक सेवा के रूप में।

आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के परामर्श से 11 अक्टूबर, 1990 को आयोजित अपनी बैठक में मामले पर पुनर्विचार किया और कैरियर उन्नति योजना के तहत वरिष्ठ/चयन ग्रेड के प्रयोजनों के लिए पिछली सेवा की गणना के लिए निम्नानुसार संशोधित दिशानिर्देशों का समाधान किया। व्याख्याताओं के लिए:

1. किसी विश्वविद्यालय/कॉलेज, राष्ट्रीय प्रयोगशाला या अन्य वैज्ञानिक संगठनों (सीएसआईआर, आईसीएआर, डीआरडीओ, यूजीसी इत्यादि) और यूजीसी अनुसंधान वैज्ञानिक में व्याख्याता या समकक्ष के रूप में बिना किसी ब्रेक के पिछली सेवा को वरिष्ठ स्केल में व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए गिना जाना चाहिए। / चयन ग्रेड बशर्ते कि:-

(ए) पद व्याख्याता के पद के समकक्ष ग्रेड/स्केल या वेतन में था;

(बी) पद के लिए योग्यताएं व्याख्याता के पद के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता से कम नहीं थीं;

(सी) संबंधित व्याख्याताओं के पास व्याख्याता के रूप में आवेदन के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता थी

(डी) पद विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार भरा गया था;

(ई) नियुक्ति तदर्थ नहीं थी या एक वर्ष से कम अवधि की अवकाश रिक्ति में थी।

2. यदि उपरोक्त मानदंड पूरे होते हैं तो उस संस्थान के प्रबंधन की प्रकृति के संदर्भ में कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए जहां पिछली सेवा प्रदान की गई थी (निजी/स्थानीय/निकाय/सरकारी)।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त निर्णय को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों के भी संज्ञान में लाएँ।

कृपया पत्र की प्राप्ति की सूचना दें,

सस्नेह,
सादर,

(एसडी/-).....

(पी.एल. मलिक)"

(16) उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि व्याख्यान के लिए कैरियर उन्नति योजना के तहत वरिष्ठ वेतनमान/चयन ग्रेड प्रदान करने के उद्देश्य से पिछली सेवा की गणना के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे, पिछली सेवा एक व्याख्याता या समकक्ष के रूप में बिना किसी ब्रेक के थी। विश्वविद्यालय/कॉलेज को उक्त पत्र दिनांक 27 नवंबर 1990 के अनुलग्नक आर-2 के पैरा 1 में दर्शाई गई शर्तों के अनुसार वरिष्ठ स्केल/चयन ग्रेड में व्याख्याता की नियुक्ति के लिए गिना जाएगा। अन्य शर्तों में यह शामिल है कि पहले के कॉलेज में पद एक व्याख्याता के पद के बराबर ग्रेड/वेतनमान का होना चाहिए, इस पद के लिए योग्यता व्याख्याता के पद के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता से कम नहीं होनी चाहिए। संबंधित के पास व्याख्याता के रूप में नियुक्ति के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता थी, पद विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार भरा गया था, और नियुक्ति तदर्थ नहीं थी या एक वर्ष से कम अवकाश रिक्ति थी।

(17) 27 नवंबर 1990 के उपरोक्त पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि यू.जी.सी. के पैरा-3 का संदर्भ दिया गया है। 29 जनवरी 1990 का पत्र जिसमें यू.जी.सी. का निर्णय शामिल है। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति से पूर्व किसी व्यक्ति के अनुभव की गणना के संबंध में। यू.जी.सी. 29 जनवरी 1990 का पत्र इस प्रकार है:-

"एस.के. खन्ना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(इंजी.) एफआईई, एएससी में,

एफएनएई सचिव बहादुर शाह जफर मार्ग

क्रमांक एफ. 1-6/90 (पीएस सेल)

29 जनवरी, 1990 नई दिल्ली-110002

प्रिय महोदय,

जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.1-21/87-यू.1, दिनांक 17 जून, 1987/22 जुलाई, 1988 के तहत व्याख्याताओं के संशोधित वेतनमान में अन्य बातों के साथ-साथ कैरियर उन्नति की एक योजना का प्रावधान किया गया है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के व्याख्याताओं के लिए वरिष्ठ वेतनमान (3000-5000 रुपये प्रति माह) और चयन ग्रेड (3,700-4,500 रुपये प्रति माह) की ओर अग्रसर।

आयोग ने व्याख्याताओं के लिए वरिष्ठ वेतनमान और चयन ग्रेड के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश को अंतिम रूप दे दिया है ये संलग्न हैं. विश्वविद्यालयों से अनुरोध है कि वे इन गाइड-लाइनों में निर्धारित कैरियर उन्नति योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें।

आयोग ने 18 दिसंबर, 1989 को हुई अपनी बैठक में इस बात पर सहमति व्यक्त की कि विश्वविद्यालय या कॉलेज में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति से पहले किसी व्यक्ति का अन्य विश्वविद्यालयों/कॉलेजों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं या अनुसंधान एवं विकास संगठनों (सीएसआईआरआईसीएआर, डीआरडीओ) में समकक्ष ग्रेड में अनुभव होना चाहिए। , यूजीसी आदि) और यूजीसी अनुसंधान वैज्ञानिकों को वरिष्ठ पैमाने/चयन ग्रेड में नियुक्ति के लिए अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा।

कृपया पत्र की प्राप्ति की सूचना दें,

सस्नेह,

सादर,

(एसडी/-).

(एस.के. खन्ना)"

(18) 29 जनवरी, 1990 के उपरोक्त पत्र के पैरा 3 का अवलोकन, जिसका संदर्भ 27 नवंबर, 1990 के बाद के पत्र में किया गया है, से पता चलता है कि आयोग यानी यूजीसी ने 18 दिसंबर, 1989 को हुई अपनी बैठक में इस बात पर सहमति हुई कि विश्वविद्यालय या कॉलेज में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति से पहले किसी व्यक्ति के अन्य विश्वविद्यालयों/कॉलेजों और अन्य संगठनों में समकक्ष ग्रेड के अनुभव को वरिष्ठ स्केल/चयन ग्रेड में नियुक्ति के लिए अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा। उत्तरदाताओं द्वारा जो तर्क उठाया जाना है वह यह है कि यूजीसी ने 29 जनवरी, 1990 के अपने पत्र के माध्यम से इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि विश्वविद्यालय या कॉलेज में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति से पहले किसी व्यक्ति का अनुभव अन्य विश्वविद्यालयों में समकक्ष ग्रेड में होगा/ कॉलेजों को वरिष्ठ स्केल/चयन ग्रेड में नियुक्ति के लिए अर्हक सेवा के रूप में गिना जाना था। हालाँकि इस नीति को यूजीसी द्वारा 27 नवंबर के अपने पत्र द्वारा संशोधित किया गया था। 1990 (अनुलग्नक आर-II)। संशोधित दिशानिर्देशों में प्रावधान किया गया है कि किसी विश्वविद्यालय/कॉलेज में व्याख्याता या समकक्ष के रूप में बिना किसी ब्रेक के पिछली सेवा को 27 नवंबर, 1990 के उक्त पत्र में प्रदान की गई शर्तों के अधीन वरिष्ठ स्केल/चयन ग्रेड में व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए गिना जाना चाहिए। इसलिए, आग्रह यह है कि संबंधित याचिकाकर्ताओं की सेवाओं में व्यवधान है और इस प्रकार उनके द्वारा डी.ए.वी. में प्रदान की गई सेवाएँ। कॉलेज, हसनगढ़ को सीनियर, स्केल/चयन, ग्रेड में उनके प्लेसमेंट के लिए नहीं गिना जा सकता।

(19) हमने उत्तरदाताओं के इस तर्क पर विचार किया है। 27 नवंबर, 1990 के पत्र के संबंध में स्थिति को डॉ. रोमिला जैन के मामले में निपटाया गया है, जिसमें यह माना गया है कि पहले के दिशानिर्देशों में अस्पष्टता, यदि कोई हो, 27 नवंबर, 1990 के पत्र द्वारा स्पष्ट कर दी गई थी। यह माना गया कि 27 नवंबर, 1990 के उक्त पत्र से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यू.जी.सी. के अनुसार। विश्वविद्यालय/कॉलेज में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति से पहले किसी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा को पत्र में उल्लिखित विभिन्न शर्तों की पूर्ति पर व्याख्याताओं के लिए कैरियर उन्नति योजना के तहत वरिष्ठ वेतनमान/चयन ग्रेड प्रदान करने के उद्देश्य से गिना जा सकता है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है

कि पिछली सेवाएं बिना ब्रेक के होनी चाहिए और किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज, राष्ट्रीय प्रयोगशाला या अन्य संगठन में व्याख्याता या समकक्ष के कैडर में होनी चाहिए। अन्य शर्तों के अलावा यह भी है कि पिछला पद व्याख्याता के पद की तुलना में समकक्ष वेतनमान/ग्रेड में होना चाहिए।

(20) इसलिए, इस मामले में 27 नवंबर, 1990 के पत्र में विचार की गई सेवा में ब्रेक यह है कि पिछली सेवा में ब्रेक नहीं होना चाहिए यानी पहले संस्थान में सेवा जहां व्याख्याता ने काम किया था। इसका संबंध पहले वाले संस्थान को छोड़ने के बाद अगले संस्थान में शामिल होने तक लगने वाले समय से नहीं है। डी.ए.वी छोड़ने के बाद कॉलेज, हसनगढ़ को कभी-कभी प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं को समायोजित/समायोजित करने की आवश्यकता होती थी। समय की इस अवधि को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है या इसे पिछली सेवा में ब्रेक के रूप में नहीं कहा जा सकता है ताकि याचिकाकर्ताओं को वरिष्ठ वेतनमान/चयन ग्रेड के अनुदान के लिए उपयुक्त न ठहराया जा सके। 27 नवंबर, 1990 के पत्र में अभिव्यक्ति "एक व्याख्याता के रूप में बिना किसी ब्रेक के पिछली सेवा..." पिछली सेवा में ब्रेक से संबंधित है, न कि डी.ए.वी. कॉलेज, हसनगढ़ में पिछली सेवा के बीच ब्रेक से याचिकाकर्ता को अगले कॉलेजों में समायोजित करने में लगने वाला समय।

(21) इसके अलावा उत्तरदाताओं का मामला यह नहीं है कि 27 नवंबर, 1990 के पत्र के पैरा 1 के परंतुक में बताई गई किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किया गया है। बल्कि निदेशक, उच्च शिक्षा, हरियाणा, प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ताओं को अन्य सहायता प्राप्त संस्थानों में समाहित करने के निर्देश जारी करते हुए-पत्र दिनांक 16 अक्टूबर, 1986 के माध्यम से याचिकाकर्ता संख्या 1 के संबंध में अनुलग्नक पी-8 और पी-9 जारी किए। 2 प्रतिवादी को संबोधित क्रमशः क्रमांक 4 और 5 और याचिकाकर्ता क्रमांक 3 के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 6 को संबोधित पत्र दिनांक 15 नवंबर, 1985 (अनुलग्नक पी-10) में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि शिक्षक के रूप में संबंधित याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति नियमित आधार पर की जानी है। और उनके वेतन की रक्षा की जाएगी क्योंकि वे पिछली संस्था में वेतन ले रहे थे। पिछली संस्था में कोई ब्रेक हुआ था या नहीं, यह नहीं बताया गया है.

इसके अलावा, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ताओं को भी पिछली संस्था यानी डी.ए.वी. में स्थायी कर दिया गया था। कॉलेज, हसनगढ़। उनकी पुष्टि के साथ ही उन्हें डी.ए.वी.कॉलेज, हसनगढ़ के नियमित रोजगार में माना जाएगा।

(22) उत्तरदाताओं का स्वीकृत मामला यह है कि 27 नवंबर, 1990 का पत्र, अनुलग्नक आर-2, राज्य सरकार द्वारा 18 दिसंबर, 2000 की अधिसूचना के माध्यम से अपनाया गया है। इसलिए, हमारे विचार में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई शर्तें यूजीसी दिशानिर्देशों को स्वीकार करते हुए, दिनांक 8 दिसंबर, 2000 की अधिसूचना का अनुपालन किया गया है। याचिकाकर्ताओं को समायोजित/समायोजित करने में लगने वाली समयावधि, जो याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 के मामले में लगभग दो वर्ष और याचिकाकर्ता संख्या 3 के मामले में लगभग एक वर्ष है, उनके लिए हानिकारक नहीं है।

(23) उपरोक्त परिस्थितियों में, हमारा मानना है कि डी.ए.वी. के बंद होने के बाद सेवा में व्यवधान, यदि कोई हो, कॉलेज, हसनगढ़, यानी 31 जुलाई, 1984 को, याचिकाकर्ताओं की क्रमशः 8 दिसंबर, 1986, 28 अक्टूबर, 1986 और 5 सितंबर, 1985 को संबंधित नियुक्तियों की तारीख तक, वरिष्ठ वेतनमान/चयन ग्रेड के अनुदान का कोई परिणाम नहीं है। हालाँकि, यह केवल याचिकाकर्ताओं द्वारा डी.ए.वी. में प्रदान की जाने वाली नियमित सेवा है। कॉलेज, हसनगढ़, जिसे 8 और 16 साल की सेवा के बाद वरिष्ठ वेतनमान और चयन ग्रेड में नियुक्ति के उद्देश्य से गिना जाएगा। संबंधित याचिकाकर्ताओं को अन्य संस्थान में समायोजित/समायोजित करने में लगने वाले समय की गणना नहीं की जाएगी।

(24) परिणामस्वरूप, रिट याचिका की अनुज्ञा दी जाती है। आदेश दिनांक 23 नवंबर, 2001, 1 जनवरी, 2002 को संलग्न अनुबंध पी-24 को रद्द कर दिया गया है और उत्तरदाताओं को निर्देश दिया गया है कि वे याचिकाकर्ताओं की डी.ए.वी. में प्रदान की गई संबंधित पिछली नियमित सेवा की गणना करें। कॉलेज, हसनगढ़ को क्रमशः 8 और 16 साल की सेवा के बाद वरिष्ठ वेतनमान और चयन ग्रेड की नियुक्ति के

लिए। जैसा कि ऊपर कहा गया है, याचिकाकर्ताओं को उनकी सेवा की गणना के बाद बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। बिना खर्चे के ।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चिनार बाघला

प्रशिक्षु न्यायिकअधिकारी

(Trainee JudicialOfficer)

अंबाला,हरियाणा